भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 315

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

उच्च प्रशुल्क लागू करने से होने वाले नुकसान

315. श्री के. राधाकृष्णनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उच्च प्रशुल्क लगाए जाने के कारण भारत के कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी अनुमानित नुकसान कितना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रशुल्क में छूट या क्षतिपूर्ति हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(घ) इन उपायों से प्रभावित भारतीय किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार नीति में हो रहे विकास तथा भारत के कृषि और संबंधित निर्यात का करीब से मूल्यांकन कर रही है। वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त हुए नवीनतम डेटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल-सितंबर) में भारत से अमेरिका को कृषि और संबद्ध उत्पाद का निर्यात पिछले वर्ष इसी अवधि में 2818.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2830.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ग) और (घ): भारत और अमेरिका वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से दोनों पक्ष परस्पर लाभकारी तरीके से व्यापार में टैरिफ बैरियर को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार एक व्यापक कार्यनीति पर कार्य कर रही है जिसमें अमेरिकी सरकार के साथ गहन संवाद शामिल है जिसमें परस्पर लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय

व्यापार समझौता, घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जेनेरेशन के जीएसटी सुधार, निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान वाले निर्यात संवर्धन उपाय (जैसे निर्यात संवर्धन मिशन, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यापार राहत उपाय), नए देशों के साथ एफटीए करना, मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना तथा बाज़ार पहुँच और इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। यह आशा है कि इन उपायों से भारत के व्यापारिक संबंधों में विविधीकरण और प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी। सरकार देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने और हमारे किसानों, मज़दूरों, उद्यमियों, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा करने तथा उपयुक्त आयात संवर्धन तथा व्यापार विविधिकरण उपायों के माध्यम से व्यापार बढ़ाने में सहायक सभी आवश्यक उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

*****